IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

हिंसा प्रभावित महिलाओं हेतु सरकार की एक पहल: वन स्टॉप सेन्टर

[1]किरन स्नेही, [2]डॉ. रीना तिवारी

[1]षोधार्थी, सामाजिक विज्ञान (समाजषास्त्र) विभाग, डॉ. सी. व्ही. रमन विष्वविद्यालय, करगी रोड़, कोटा, बिलासपुर।

[2]षोध निर्देषिका, सह-प्राध्यापक, सामाजिक विज्ञान (समाजषास्त्र) विभाग, डॉ. सी. व्ही. रमन विष्वविद्यालय, करगी रोड़, कोटा, बिलासपुर।

षोध - सारांष

01 अप्रैल 2015 को भारत सरकार ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन और सहायता करने के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना प्रारम्भ की। यह योजना ‘‘सखी’’ नाम से भी जानी जाती है।1 योजना के संचालन के समय यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि देश के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर बनाया जायेगा। उसी लक्ष्य को प्राप्त करते हुए वर्तमान में देश के हर जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर कार्यरत् हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकार के साथ मिलकर वन स्टॉप सेंटर का संचालन करता है। इस योजना के अन्तर्गत हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे कई सेवाएं एक साथ देने के लिए एक सेंटर बनाया गया है। इन सेवाओं में चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, परिवहन व पुलिस से निपटने में सुविधा और यदि आवश्यक हो तो अस्थायी आश्रय भी शामिल हैं। यह योजना मुख्यतः महिला संरक्षण, संवर्धन एवं सषक्तिकरण की आधारषिला पर कार्य करती है, अर्थात् हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला या नाबालिक बालिका की शिकायतों को नहीं सुन रहा है या न्याय नहीं पा रहा है, तो वे अपने नजदीकी या जिले में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर पर जा सकते हैं। सखी: वन स्टॉप सेंटर आपको न्याय मिलने तक सहयोग देगा। सखी वन स्टॉप सेंटर का मुख्य उद्देश्य यह है कि हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला या बालिका वन स्टॉप सेंटर से किसी भी समय मदद ले सकती है।

षब्द संकेत- वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला सषक्तिकरण।

समस्या पर चर्चा और सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, ओ0एस0सी0 की स्थापना के लिए स्थान की पहचान की जानी थी। अतः मंत्रालय ने ओ0एस0सी0 को अस्पताल या चिकित्सा सुविधा परिसर के भीतर या अस्पताल से दो किमी के दायरे में स्थापित किये जाने की सिफारिष की। ओ0एस0सी0 की स्थापना के लिए आवश्यक क्षेत्र मौजूदा सरकारी भवन में 132 वर्ग मीटर, कार्पोरेट क्षेत्र व अस्पताल या चिकित्सा सुविधा के भीतर 300 वर्ग मी0 या अस्पताल से 2 किमी के भीतर के दायरे में बनाने की पहल की गयी। ओ0एस0सी0 को महिला एवं बाल विकास निगम, जो की एक पंजीकृत संस्था है, के अन्तर्गत बिहार सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया। सबसे पहले बिहार सरकार ने समाज कल्याण विभाग के अधीन और राज्य में महिला विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी का निर्माण किया था। बिहार सरकार ने सर्वप्रथम ओ0एस0सी0 योजना का षुभारम्भ किया। वन-स्टॉप सेंटर योजना जिसे ‘‘सखी’’ भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की व्यापक योजना का ही एक हिस्सा है। इस योजना को ‘‘महिला एवं बाल विकास मंत्रालय’’ (एमडब्ल्यूसीडी) ने बनाया था।2

सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि

सरकार द्वारा महिला सुरक्षा एवं महिला सषक्तिकरण से सम्बन्धित बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जाता है। जिसमें से एक योजना ओ0एस0सी0 भी है। ओ0एस0सी0 से सम्बन्धित लेख, षोधपत्र, षोधग्रन्थ इत्यादि का अध्ययन करने के पष्चात् षोधार्थी ने पाया कि एम0डब्ल्यू0सी0डी0 एक मात्र ऐसा मंत्रालय है जो, महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं को बनाता है, उसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसे संचालित करता है और संचालित करते समय आने वाली समस्यों का समाधान भी प्रस्तुत करता है। सरकार एवं एम0डब्ल्यू0सी0डी0 द्वारा संचालित महिलाओं से सम्बन्धित एक योजना ‘‘वन स्टॉप सेंटर’’ भी है। जो हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक पुलिस-डेस्क, कानूनी सहायता, चिकित्सा और काउंसलिंग की सुविधा के साथ-साथ अस्थायी आश्रय भी प्रदान करती है।3 जो किसी भी महिला को कोई भी गलत कार्य करने से रोकने के साथ-साथ एक नयी षक्ति एवं ऊर्जा का भी संचार करती है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत अम्ब्रेला योजना में वन स्टॉप सेंटर योजना और इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना भी शामिल हैं।

षोध प्रष्न

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करने के उपरान्त षोधार्थी के मन में निम्न प्रष्न उत्पन्न हुए कि-

- वन-स्टॉप सेंटर योजना क्या है?
- सरकार द्वारा वन-स्टॉप सेंटर योजना को संचालित करने का उद्देष्य क्या है?
- वन-स्टॉप सेंटर योजना कैसे और क्या कार्य क्या है?

षोध पत्र का उद्देष्य

 वन-स्टॉप सेंटर योजना के संचालन सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन करना।

 सरकार द्वारा वन-स्टॉप सेंटर योजना को संचालित करने वाले उद्देष्य का अध्ययन करना।

 वन-स्टॉप सेंटर योजना के कार्यों का अध्ययन करना।

डेटा संग्रह में प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन के डेटा संग्रह हेतु षोधार्थी द्वारा प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। साथ ही षोधार्थी द्वारा एक स्वरचित प्रष्नावली का भी निर्माण किया गया है।

समस्या वर्णन

 वन-स्टॉप सेंटर

स्टॉप सेंटर देश के सभी जिलों में काम कर रहें हैं और हिंसा व विपत्ति से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को आश्रय भी प्रदान कर रहें है।[4]

 वन-स्टॉप सेंटर योजना के संचालन सम्बन्धी तथ्यों

 यह सेन्टर हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को सहायता देना है। इसके लिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 वन स्टॉप सेंटर (सखी) को 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की सहायता प्रदान करने के लिए गठित किया गया है।

 आज भी समाज में कई बालिकाएं या महिलाएं अपराध का शिकार होती हैं। उस समय उन्हें मदद की जरूरत होने पर कोई उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आता। वन स्टाफ सेंटर का मुख्य उद्देश्य ऐसी महिलाओं, युवतियों और बालिकाओं को सहायता प्रदान करना है जो, अपनी समस्याओं को वन स्टाफ सेंटर पर रखेंगी, जिसके बाद उन्हें आवष्यकतानुसार मानसिक सहायता, स्वास्थ्य समस्याएं, घरेलू हिंसा, सार्वजनिक हिंसा, भेदभाव, मारपीट, न्यायिक और विधिक परामर्श, शारीरिक समस्याएं और प्राथमिकी दर्ज कराने से संबंधित सहायता मिलेगी।5

 जो महिलाएं हिंसा से प्रभावित हैं वे सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, केंद्र प्रशासन या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक पहुंच सकती हैं।

 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डपदपेजतल व ि ँवउमद ंदक ब्ीपसक क्मअमसवचउमदज) ने वन-स्टॉप सेंटर योजना (व्दम ैजवच ब्मदजतम ैबीमउम) पर काम करने के लिए दस देशों में ओ0सी0एस0 स्थापित करने की घोषणा की है। यह घोषणा विदेश मंत्रालय के सहयोग से की जाएगी। पहले, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई और सऊदी अरब में एक-स्टॉप सेंटर बनाये जायेगं े।

 यह केंद्र 24ग्7 मदद करने के लिए तत्पर है। साथ ही कोई भी महिला टोल फ्री हेल्पलाइन 181 डायल कर सहायता के लिए प्रयास कर सकती है।

□ **वन-स्टॉप सेंटर योजना के संचालन का उद्देष्य**

□ हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे समर्थन और सहायता देना।

□ महिला हिंसा की शिकार महिलाओं को तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता प्रदान करना।

□ चिकित्सा सहायता प्रदान करना।

□ मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना।

□ तत्काल पुलिस सहायता प्रदान करना।

□ आपातकालीन आश्रय प्रदान करना।

□ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सलाह प्रदान करना।

□ विधिक सलाह और परामर्श प्रदान करना।

□ वीडियो कांफ्रेंसिंग इत्यादि सहायता, जो पीड़ित महिला चाहती है, उसे प्रदान करना।6

□ वन-स्टॉप सेंटर योजना कैसे और क्या कार्य

□ ऐसी महिलाएं जो सार्वजनिक, निजी या पारिवारिक स्थानों पर हिंसा की शिकार हुई हो, वन स्टाफ सेंटर योजना में शामिल हैं।

□ इस योजना में किसी भी जाति या धर्म का प्रतिबंध नहीं है। सभी वर्ग की महिलाएं किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित होने पर वन स्टॉप सेंटर से संपर्क कर सकती हैं।

□ किसी भी प्रकार की हिंसाएं जैसे- घरेलू हिंसा, शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, एसिड अटैक और अनैतिक काम करने के लिए दबाव डालना इत्यादि से पीड़ित महिलाएं इस योजना में शामिल हैं।7

निष्कर्ष

इस प्रकार हम कह सकते है कि वन स्टॉप सेंटर योजना, निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अपराध को रोकने और पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोई भी महिला किसी भी घटना, प्रताड़ना या संकट में त्वरित सहायता और आपातकालीन सेवाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल कर सकती हैं। यह सेन्टर 24 घंटे काम करता है और मुफ्त सेवा देता है। छत्तीसगढ़ के सभी पुराने 27 जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर हैं, जो महिलाओं की मदद के लिए कार्य कर रहें हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों में भी ैेंाीप व्दम ैजवच ब्मदजमते कार्यरत् हैं, जैसे- एम0पी सखी वन स्टॉप सेंटर, बिहार सखी वन स्टॉप सेंटर, यू0पी सखी वन स्टॉप सेंटर, दिल्ली सखी वन स्टॉप सेंटर, पंजाब सखी वन स्टॉप सेंटर, हरियाणा सखी वन स्टॉप सेंटर, महाराष्ट्र सखी वन स्टॉप सेंटर और राजस्थान सखी वन स्टॉप सेंटर इत्यादि।8

वन स्टॉप सेंटर (व्दम ैजवच ब्मदजतम) किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र या वैवाहिक स्थिति की परवाह किये बिना 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और उत्पीड़न को रोकता है। सरकार किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत स्थापित संस्थानों और

प्राधिकरणों को इससे जोड़ने की योजना बना रही है। जिससे अधिक से अधिक नाबालिग लड़कियों की मदद की जा सके। केंद्र ने वन-स्टॉप सेंटर बनाने की सरकारी योजना बनाई है, जो इस तरह की हिंसा और संकट में महिलाओं की मदद करती है जब कोई भी आवष्यकता के समय महिला की सहायतार्थ सामने नहीं आना चाहता। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके तहत पूरी धनराशि दी जाएगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (ब्वउचजतवससमत ंदक ।नकपजवत ळमदमतंस व ि्प्दकपं) के नियम इसका ऑडिट करते है।9 साथ ही, नागरिक समाज समूहों द्वारा इस योजना का सामाजिक अध्ययन एवं परीक्षण भी किया जाता है।

संदर्भ सूची

[1] https://byjus.com

[2] https://www.india.gov.in

[3] https://testbook.com

[4] https://cgwcd.gov.in

[5] https://www.india.gov.in

[6] https://sarkariyojnaa.com

[7] https://testbook.com

[8] https://www.india.gov.in

[9] https://byjus.com